न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

फर्द अहकाम

धनसिंह बनाम नारायण सिंह

किस्म मुकदमा 225 नंबर 29 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/7/25	जीवनसिंह रावत अधिवक्ता पुनरावेदक उपस्थित हैं। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुनरावेदन पंजिबद्ध किया जाकर वास्ते सुनवाई दिनांक 1/8/25 को प्रस्तुत हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जावें। प्रत्यर्थी को सूचना-पत्र जारी हो। आदेश सुनाया गया (हस्ताक्षर) 28.7.25 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)	
1/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलार्थी, 1 [illegible] पेश रेस्पो. 1-6 के सम्मन तीन दिन में पेश करें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जावे। पत्रावली वास्ते तामील/तलबी दिनांक 12/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 1.8.25 भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ. उदयपुर (राज.)	L-C-प्राप्त
12/9/25	अधिवक्तागण द्वारा हड़ताल/शोकसभा किये जाने से पेशी मुल्तवी की पत्रावली वास्ते ~~बहस~~ ता. दिनांक 10.10.25 को पेश हो पेशी स्वयं ज्ञात करें। (हस्ताक्षर)	Under Taking Pilesh Tiledy L 1-5
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित, पीठासीन अधिकारी महो. [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/11/25 को प्रस्तुत हो। Ad. रितेश, एडवोकेट ने 1-5 की ओर से अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

RAS 0 29/25

धनसिंह / नारायणसिंह

2025/310

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/25 राजीनामा होने से अपील विड्रो कर रहा हूँ Withdraw करो। धनसिंह Idd by me 14/11/25	पत्रा. प्रस्तुत। Ad. अग्रवाल उपस्थित। अपीलांटगण धनसिंह स्वयं उपस्थित। Ad. अपी. एवं अपीलांट स्वयं ने जाहिर किया की उभयपक्षगण में प्रकरण को लेकर आपसी राजीनामा हो गया है इसलिये वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अपी. एवं अपी.गण पत्रावली को इसी स्तर पर विड्रो करने का निवेदन किया। उनका निवेदन स्वीकार किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारीज की जाती है। अपी. कि तसदीक कर उनका आधार कार्ड शा.का. रहे। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। भू-प्रबन्ध अधिकारी मय पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें

श्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन
भुप्रबंध अधिकारी उदयपुर केम्प राजसमन्द

प्रस्तुतकर्ताः— अपीलाण्ट

1. धनसिंह पुत्र खुमसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी शिवनाथपुरा आगरिया रोड आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

-----अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. श्रीमति गणेश कुंवर पत्नि सुमेरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
3. अभयसिंह पुत्र वदनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4. श्रीमति प्रेम कंवर पत्नि फतेहसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
5. श्रीमति मुलकंवर पत्नि उदयसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

[illegible]ण्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर ए[illegible]प्रब[illegible]अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह [illegible]स पत्रावली संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 25/06/2025 बअनवान [illegible]ायणसिंह बनाम धनसिंह वगैरा से अप्रसन्न होकर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

धनसिंह

निरन्तर ....

श्री जीवनसिंह रावत
25/7/25

महोदय जी

Adv. Jeevan Singh Rawat ने अपील प्रस्तुत की, P.O. महोदय अन्य कार्य में होने से उनके विचारार्थ पेश है।

सॉरम
25/7/25

श्रीमान P.O. महो.

Check and report
25.7.25.

महोदय जी,

पुनरावेदन—

(i) अन्तर्गत धारा 225 रा. का अधि.
रा. भू. अ. प्रस्तुत हुआ है।

(ii) न्यायालय शुल्क पूरा लगा हुआ है।

(iii) समयावधि मे है। .... दिन विलम्ब से प्रस्तुत हुआ, जिसके लिये धारा 5 का प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं / नहीं किया है। अवलोकनार्थ

(iv) स्थगन प्रा. पत्र. संलग्न है। पत्रा. आज पेश करते हुए अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

सॉरल
28/7/25

श्रीमान P.O. महो.

Register and issue summons returnable in 15 days
28.7.25

1\. यह कि रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द में संयुक्त खातेदारी, आधिपत्य की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 1243 पुराना 1004 के आराजी नम्बर 3619, 3623, 3624, 3625, 3626, 3632, 3653 कुल किता 7सात कुल रकबा 1.4700 हेक्टेयर भूमि पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थीगण अपने काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर के आगे विपक्षी/अपीलाण्ट की आराजी सं. 3621 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 3622 रकबा 0.3000 हेक्टेयर भूमिया स्थित है, तत्पश्चात् आराजी नम्बर 3639 आम रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए आम रास्ता आराजी नम्बर 3639 से होकर विपक्षी/अपीलाण्ट के आराजी नम्बर 3621, 3622 में बने रास्ते से होते हुऐ प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट अपनी आराजी नम्बर 3623 में प्रवेश करते है। रेस्पोटेण्डगण व रेस्पोडेण्टगण के पूर्वाधिकारी भी इस रास्ते से होकर वर्षो से अपनी कृषि भूमि में आते जाते रहे है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से रेस्पोडेण्टगण करते आये है एवं मौके पर 15 फिट चौडा रास्ता स्थित है। अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 3621, 3622 में रेस्पोडेण्टगण के आने जाने के रास्ते में पत्थरो की दिवार चुनकर रास्ता बंद कर दिया है। इसलिये रेस्पोडेण्ट ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 3623 रेस्पोडेण्टगण के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। जिससे रेस्पोडेण्टगण को काफी समस्या आ रही है एवं रेस्पोडेण्टगण अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है अपने मवेशियों को भी नही ले जा पा रहे है तथा मवेशियों के लिए घास भी नही ला पा रहे है एवं कृषि भूमियों पर सिंचाई के उपकरण [illegible] के साधन लाने ले जाने एवं खेतीबाडी भी नही कर पा रहे है। [illegible] रास्ता 15 फिट चौडा होकर उक्त रास्ता काफी वर्षो से मौके पर [illegible]द है उक्त रास्ता मात्र खातेदारी में अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने से अपीलाण्ट बाधा,

निरन्तर ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

रूकावट उत्पन्न कर रहा है। ताईद में जमाबंदी की नकल एवं नक्शाट्रेस पेश है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में एवं रेस्पोडेण्ट के आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर 3621, 3622 में से होकर जाता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पोडेण्ट की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु एवं रेस्पोडेण्ट की कृषि भूमियों के पास स्थित अन्य खातेदारी की कृषि भूमियों में भी आने जाने का यही एक मात्र रास्ता उपलब्ध है जो मौके पर 15 फिट चौडा स्थित है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना चाहते है जो एकमात्र रास्ता है जो कि अपीलाण्ट की भूमि में से होकर ही उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता 15 फिट चौडा होकर उक्त रास्ते से पीढी दर पीढी काफी वर्षो से रेस्पोडेण्टगण व उनके पूर्वाधिकारी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते से ही सिंचाई के साधन, ट्रेक्टर बैलगाडी, मवेशी आदि अन्य कृषि उपकरण ले जाकर कृषि कार्य किया जाता रहा है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त रास्ते को अवैध तरिके से बंद कर दिया है। इस पर रेस्पोडेण्टगण ने आप न्यायालय में उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलाण्ट ने जवाब पेश किया जिसे रेकार्ड पर लिया गया। एवं न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर यह आदेश पारित किया कि "उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द में संयुक्त खातेदारी, आधिपत्य की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 1243 पुराना 1004 के आराजी नम्बर 3619, 3623, 3624, 3625, 3626, 3632, 3653 कुल किता 7 रकबा 1.4700 हेक्टेयर में आने जाने के लिए विपक्षी/अपीलाण्ट 3621 रकबा 0.1000 हेक्टेयर में [illegible]8 मीटर अर्थात् 0.0018 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3622 रकबा [illegible] हेक्टेयर में से 128 मीटर अर्थात् 0.0128 हेक्टेयर कुल लम्बाई [illegible] मीटर चौडाई 4.57 मीटर कुल 146 वर्गमीटर अर्थात् 0.0146 हेक्टेयर रास्ता प्रस्तावित किया

निरन्तर ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

गया है जिसकी वर्तमान् डीएलसी दर 25,36,057/— हेक्टेयर के अनुसार राशि 37030/— की दुगुनी राशि 74060/— रूपये तहसील कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शाट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।'' उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है।

:—आधारः—

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश कानुन, विधि एवं सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजुद जवाब दावा व पेश दस्तावेजो के विपरित आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।
4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजी नम्बर में कोई रास्ता मौजुद नहीं है। एवं उक्त आराजी नम्बर में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 2592 में जो रास्ता है जिससे आने जाने हेतु आराजी नम्बर 3600, 5599/3600, 3611, 3610, 3016, 3620 जो कुऐं तक जाता है कुऐं के बाद प्रार्थीगण की आराजीयात् जुडी हुई है जहां से आवागमन होता है, प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जहां वैकल्पिक रास्ता मौजुद हो वहां पर कानुनन कोई रास्ता देने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी के पूर्व खातेदारो का उक्त रास्ते से ही आवागमन होता रहा है। दिनांक 02/06/2024 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। उपरोक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्वीकृत तथ्य है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत तथ्य व दस्तावेजों से परे जाकर जो आदेश पारित किया है वो अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा जो प्रावधान निर्मित्त किये है कि जहां वैकल्पिक रास्ता मौजुद हो वहा धारा 251क

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर ....

लागु नही होती है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक के विरूद्ध जाकर जो आदेश पारित किया है वो अपास्त होने योग्य है।

5. यह अपीलाण्ट द्वारा अपील में परिवर्तन परिवर्धन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुऐ अपील पेश है।

6. यह कि अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे।

7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25/06/2025 का होने से अपील अन्दर अवधि पेश है।

8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द के द्वारा पारित आदेश/निर्णय होने से उक्त अपील का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

9. यह कि अपील का मुल्यांकन 100 /— रूपये कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह आरएएस पत्रावली संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 25/06/2025 बअनवान नारायणसिंह बनाम धनसिंह वगैरा को अपास्त कर खारिज किया जावें।

दिनांक :— 25/07/2025

स्थान :— उदयपुर

धनसिंह

(वकील ... 25/07/2025)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें

श्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन

भुप्रबंध अधिकारी उदयपुर केम्प राजसमन्द

धनसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह आरएएस पत्रावली संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 25/06/2025 बअनवान नारायणसिंह बनाम धनसिंह वगैरा से अप्रसन्न होकर

शपथ पत्र

मै धनसिंह पुत्र खुमसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी शिवनाथपुरा आगरिया रोड आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला होकर शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि –

1. मै शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत अपील की कलम सं. 1एक से लगायत अन्त तक का विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है जो इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग है। अपील की समस्त ईबारत को इस शपथ पत्र के साथ पढ़ा एवं माना जावें।

दिनांक :– 25/7/2025

स्थान :– उदयपुर

धनसिंह

सत्यापन

मै धनसिंह पुत्र खुमसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी शिवनाथपुरा आगरिया रोड आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला होकर शपथ पत्र की कलम सं. 1एक में वर्णित तथ्य को मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य होना सत्यापित करता हूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 25/7/2025

स्थान :– उदयपुर

प्रस्तुतकर्ता श्री धनसिंह पुत्र/पत्नी/पति खुमसिंह जाति रावत आयु वयस्क पेशा मजदूरी निवासी शिवनाथपुरा तहसील आमेट में प्रस्तुत व सही होना स्वीकृत किया/शपथकर्ता की पहचान श्री Rul रावत ने की। एवं शपथ पत्र तस्दीक किया गया।
दिनांक 25/7/25

शपथ आयुक्त, राजसमन्द

सेवामें

श्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन
भुप्रबंध अधिकारी उदयपुर केम्प राजसमन्द

प्रस्तुतकर्ता:— अपीलाण्ट / प्रार्थी

धनसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह आरएएस पत्रावली संख्या 09 / 2024 निर्णय दिनांक 25 / 06 / 2025 बअनवान नारायणसिंह बनाम धनसिंह वगैरा से अप्रसन्न होकर

प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश

अपीलाण्ट / प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत है —

1. यह कि प्रार्थी / अपीलाण्ट ने एक मुल अपील आप न्यायालय में पेश की है जो सच्चे एवं ठोस आधारो पर प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25 / 06 / 2025 के तहत कियान्विती करने के लिए तहसीलदार आमेट को तहरीर जारी की है जबकि अभी तक अपीलाण्ट को विवादित आदेश में उल्लेखित राशि भी प्राप्त नही की है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुऐ अपील की पालना करने पर आमादा है। व मौके पर जबरदस्ती रास्ता निकालने पर भी आमादा है। व मौके पर तोडफोड कर जबरदस्ती विवाद पैदा कर रहे है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश / निर्णय दिनांक 25 / 06 / 2025 की क्रियान्विति को मूल अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाना आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर ....

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांक 25/06/2025 की कियान्विती को मुल अपील के निस्तारण तक जरिये स्थगन आदेश रूकवाई जाने का आदेश प्रदान किया जावें। साथ ही रेस्पोडेण्ट सं. 1एक से लगायत 6छः के विरूद्ध स्थगन आदेश इस आशय का स्थगन जारी किया जावे कि वे मौके पर नया रास्ता निर्मित्त नही करे न ही मौके पर तोड फोड करे। राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम कराई जाने का आदेश प्रदान करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

दिनांक :— 25/7/2025

स्थान :— उदयपुर

25/7/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें

श्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन
भुप्रबंध अधिकारी उदयपुर केम्प राजसमन्द

धनसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह आरएएस पत्रावली संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 25/06/2025 बअनवान नारायणसिंह बनाम धनसिंह वगैरा से अप्रसन्न होकर

प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश

शपथ पत्र

मै धनसिंह पुत्र खुमसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी शिवनाथपुरा आगरिया रोड आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला होकर शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि –

1. मै शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1एक से लगायत अन्त तक का विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है जो इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थना पत्र की समस्त ईबारत को इस शपथ पत्र के साथ पढ़ा एवं माना जावें।

दिनांक :– 25/7/2025

स्थान :– उदयपुर

सत्यापन

मै धनसिंह पुत्र खुमसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी शिवनाथपुरा आगरिया रोड आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला होकर शपथ पत्र की कलम सं. 1एक में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य होना सत्यापित करता हूँ।

दिनांक :– 25/7/2025

स्थान :– उदयपुर

प्रस्तुतकर्ता श्री धनसिंह पिता खुमसिंह जाति रावत ... पेशा ... निवासी शिवनाथपुरा तहसील आमेट ... में प्रस्तुत ... होना स्वीकृत किया/शपथकर्ता की पहचान श्री ... ने की। एवं शपथ पत्र तस्दीक किया गया।
दिनांक 25/7/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested